न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 14/2006

1 श्रीमती नारायणी देवी स्त्री शिवकरण जाति माली निवासी मौजास तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गोरिया मृतक पुत्र पेमाराम।

2 सूरजाराम मृतक पुत्र खेताराम समस्त जाति चमार निवासीगण मौजास तहसील व जिला झुंझुनू।

3 बजरंगलाल पुत्र गोपालराम जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू मुकदमा नम्बर 61/2004 उनवानी सरकार
बनाम गोरिया वगैरह अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ आदेश दिनांक 27.01.2006

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 61/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 27.01.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुंझुनू ने धारा 175 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम कुहाडु तहसील झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 1 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा को प्रतिपक्षी नम्बर 1 ने धारा 42ख का उल्लघन करते हुये प्रतिपक्षी संख्या 2 को हस्तान्तरित कर दिया। अत आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि राज्य सरकार के नाम की जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आवेदन/दावा पेश होने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन आदेश पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील नही करवाई गई। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाकर विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि अनुसार नलिटी है। अपीलांट्स मृतक के वारिसान है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 एवं धारा 96 के आवेदन स्वीकार किये जाकर अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर